न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. श्रीमती नाजू देवी पत्नि दीपाजी पुत्री चतराजी, जाति- कलबी, निवासी- धवली, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
2. श्रीमती सोपू देवी पत्नि वजाराम जी पुत्री चतराजी, जाति- कलबी, निवासी- धवली, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
3. श्रीमती धापू पत्नि नारायण जी पुत्री चतराजी, जाति- कलबी, निवासी- अनादरा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. श्री चतरा राम पुत्र मूलाजी, जाति-कलबी, निवासी- धवली, तहसील-रेवदर, जिला-सिरोही
2. श्री रुपाराम पुत्र रामजी, जाति- कलबी, निवासी- धवली, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर

राजस्व अपील संख्या: 22/2017

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द्र डी. सुराणा, प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या-3 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 16 मार्च, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम धवली, पटवार हल्का धवली के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1636 दिनांक 08.11.2016 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। जिस पर अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द्र डी. सुराणा उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या-3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत हुआ।

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण के पिता चतराराम जी पुत्र मूला जी व चाचा रामजी पुत्र मूलाजी के संयुक्त पुश्तैनी कब्जे मालकी की खातेदारी भूमि ग्राम धवली, पटवार हल्का धवली के खसरा संख्या 148 रकबा 1.01 बीघा, खसरा संख्या 149 रकबा 1.07 बीघा, खसरा संख्या 581 रकबा 9.04 बीघा, खसरा संख्या 697 रकबा 5.14 बीघा, खसरा संख्या 751 रकबा 9.05 बीघा, खसरा संख्या 806 रकबा 2.10 बीघा व खसरा संख्या 816 रकबा 3.14 बीघा कुल किता 7 कुल रकबा 32.05 बीघा आई हुई है, जो राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थीगण के पिता चतरा पुत्र मूलाजी व चाचा रामजी पुत्र मूलाजी के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि अपीलार्थीगण व अपीलार्थीगण की बहिन श्रीमती जेउ व श्रीमती सुशीला के दादा व प्रत्यर्थी संख्या- 1 के पिता श्री मूलाजी कलबी के खातेदारी, कब्जे काश्त व मालकी की थीं। अपीलार्थीगण के दादा व प्रत्यर्थी संख्या-1 के पिता मूलाजी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का आधा हिस्सा अपीलार्थीगण के पिता चतराजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। स्वर्गीय मूलाजी के दो पुत्र राम जी व चतरा जी थे, जिसमें अपीलार्थीगण के पिता चतराजी व चाचा रामजी है। श्री चतराजी पुत्र मूलाजी कलबी के संतान पुत्रिया श्रीमती जेउ पत्नि देवाजी, निवासी- अनादरा, श्रीमती नाजू पत्नि दीपाजी, निवासी- धवली, श्रीमती धापू पत्नि नारायण जी, निवासी- अनादरा, श्रीमती सुशीला पत्नि राजेश जी, निवासी- लुणोल व श्रीमती सांपू पत्नि वजाराम जी, निवासी- धवली है तथा रामजी पुत्र मूलाजी के वारिसान श्रीमती कनको पत्नि लाला जी, निवासी- धवली, श्रीमती नाजू पत्नि भगा जी, निवासी- मकावल, श्रीमती रकमो पत्नि गेलाजी, निवासी- अनादरा, श्री नगा पुत्र रामजी, निवासी- धवली, उका पुत्र रामजी, निवासी- धवली व श्री रुपाराम पुत्र रामजी, निवासी- धवली है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि श्री चतराजी पुत्र मूलाजी कलबी (प्रत्यर्थी संख्या-1) के केवल पांच पुत्रिया ही है एवं कोई पुत्र संतान नही है। उक्त भूमि के मौके पर रामजी पुत्र मूलाजी के साथ साथ चतराजी पुत्र मूलाजी व उनकी पत्नि कनको व चतराजी की पुत्रियां अपीलार्थीगण संयुक्त रुप से बहैसियत मालिक काबिज काश्त है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि उक्त कृषि भूमि अपीलार्थीगण के दादा मूलाजी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि रही है जो मूलाजी की मृत्यु के बाद प्रत्यर्थी संख्या-1 व रामजी पुत्र मूलाजी कलबी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। उक्त कृषि भूमि अपीलार्थीगण के दादा की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि होने से अपीलार्थीगण का उक्त कृषि भूमि में जन्म से हक हिस्सा रहा है एवं अपीलार्थीगण अपने हक हिस्से की कृषि भूमि प्राप्त करने की हकदार है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि स्वर्गीय मूलाजी के पुत्र एवं अपीलार्थीगण के पिता चतराजी के कोई पुत्र वंशज नही था तथा उनके वंशज में उनकी पांच पुत्रिया ही है, लेकिन कलबी समाज के स्वयंभू पंच लालाराम, रुपाराम, नगाराम व जीवाराम आदि ने अपीलार्थीगण के संयुक्त परिवार की पुश्तैनी सम्पति व कृषि भूमि को हडपने की नियत से षडयंत्र कर अपीलार्थीगण के पिता चतराजी पुत्र मूलाजी एवं अपीलार्थीगण की माता श्रीमती कनको पत्नि चतराजी को विवश कर प्रत्यर्थी सं. 2 रुपाराम को गोद लेने हेतु दबाव डाला एवं अपीलार्थीगण के

.....पेज तीन पर

जि० जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पिता व माता की इच्छा के विरुद्ध एक गोदनामा एवं दान विलेख प्रत्यर्थी संख्या-2 रुपाराम के पक्ष में निष्पादित करवाकर पंजीयन करवा लिया, जो अवैध व गैर कानूनी है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रत्यर्थी संख्या-2 के उक्त अवैध कृत्य के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा सहायक कलेक्टर, रेवदर के न्यायालय मे खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत किया। साथ ही, उक्त दान विलेख को निरस्त कराने हेतु माननीय जिला न्यायालय, सिरोही में वाद दायर किया। जिसमें से सहायक कलेक्टर, रेवदर के न्यायालय में प्रस्तुत खातेदारी घोषणा का वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान कैम्प कोर्ट दिनांक 10.6.2016 को अपीलार्थीगण व अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के उपस्थित नही होने के कारण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हुआ है। जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को होने पर अपीलार्थीगण ने उक्त खातेदारी घोषणा के वाद को रेस्टोर करवाने हेतु सहायक कलेक्टर, रेवदर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर वाद को पुनः सुनवाई हेतु नंबर पर लिया गया है। जबकि माननीय जिला न्यायालय, सिरोही में दान विलेख को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत वाद माननीय जिला न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय जिला न्यायालय, सिरोही में उक्त दान विलेख निरस्त कराने हेतु अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वाद के विचाराधीन रहते हुए दान विलेख के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या-2 के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत नही किया जा सकता था। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त RRT 2011-12(Supp.) Page 246 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गोद पुत्र व दान विलेख की घोषणा सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है एवं जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से गोद पुत्र व दान विलेख की घोषणा नही हो जाती है, तब तक प्रत्यर्थी रुपाराम के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत नही किया जा सकता था। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में अपीलार्थीगण को पूर्व से कोई जानकारी नही रही है एवं न ही प्रश्नगत नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलार्थीगण को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में जानकारी होते ही प्रश्नगत नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अन्दर मियाद 30 दिन में यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुए अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि होने के संबंध में अपीलार्थीगण ने कोई साक्ष्य पेश नही की है। विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि नही होकर चतरा पुत्र मूला जी कलबी की स्वअर्जित है। अपीलार्थीगण के पिता व प्रत्यर्थी संख्या-1 चतरा जी पुत्र मूलाजी कलबी द्वारा अपने स्वेच्छा से प्रत्यर्थी संख्या-2 रुपाराम को गोद लिया था जिसका गोदनामा उप पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। उक्त गोदनामे को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय में वाद दायर किया गया था जो खारिज हो चुका है। अपीलार्थीगण द्वारा सहायक कलेक्टर, रेवदर के न्यायालय में

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत खातेदारी घोषणा का वाद व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था जो सहायक कलेक्टर, रेवदर द्वारा दिनांक 10.6.2016 को खारिज किये गये है। प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रत्यर्थी चतराराम पुत्र मूलाजी कलबी द्वारा अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि को अपने स्वेच्छा से अपने गोदी पुत्र रुपाराम को दान की गई जिसका दान विलेख उप पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 के अधिवक्ता यह भी तर्क रहा कि कि चतराराम पुत्र मूलाजी कलबी के हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में उक्त दान विलेख के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या-2 के पक्ष में प्रश्नगत नामान्तरकरण दायर होकर स्वीकृत हुआ है। उक्त दान विलेख की पालना रोकी जाने एवं उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने के संबंध में सक्षम न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्रभाव में नही था। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अपीलार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये गये है और अपीलार्थीगण को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में जानकारी नहीं रही हो, ये तथ्य माना जाने योग्य नही है। अपीलार्थीगण को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में प्रारम्भ से ही जानकारी रही है, इसलिये अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि ग्राम धवली, पटवार हल्का धवली के खसरा संख्या 148 रकबा 1.01 बीघा, खसरा संख्या 149 रकबा 1.07 बीघा, खसरा संख्या 581 रकबा 9.04 बीघा, खसरा संख्या 697 रकबा 5.14 बीघा व खसरा संख्या 751 रकबा 9.05 बीघा कुल किता 5 रकबा 26.11 बीघा भूमि में खातेदार चतरा पुत्र मूला जी कलबी, निवासी- धवली के दर्ज हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में रुपाराम गोदी पुत्र चतराराम कलबी, निवासी- धवली के पक्ष में हल्का पटवारी, धवली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1636 दायर किया जो तहसीलदार, रेवदर द्वारा 08.11.2016 को स्वीकृत किया गया है।

प्रकरण में तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 08.11.2016 को स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 1636 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 08.11.2017 को अपील प्रस्तुत की गई है जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। जहां तक, यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है? अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया है। जिसमें यह अंकित किया है कि अपीलार्थीगण को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में प्रथम बार जानकारी दिनांक 08.10.2017 को जानकारी होते ही अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करके जमाबन्दी एवं नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है जिससे अपीलार्थी की कोई बदनियति या लापरवाही नहीं रही है। अपीलार्थीगण ने धारा 5 के उक्त प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है। धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

का प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ है परन्तु प्रत्यर्थी पक्ष ने अपने जवाब के साथ ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में अपीलार्थीगण को प्रारम्भ से ही जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण के विरुद्ध यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है तथा अपील पेश करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक है। विधिक दृष्टान्त आर.आर.सी. 1999 पेज 11 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि "मियाद अवधि जानकारी की तारीख से प्रारम्भ होती है न कि आदेश की तारीख से।" ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण द्वारा विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुए इस प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना उचित पाया जाता है।

इस प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री चताराम पुत्र मूलाजी कलबी, निवासी- धवली द्वारा श्री रुपाराम गोदीपुत्र चतराराम जी कलबी, निवासी- धवली के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत दान विलेख (Gift deed) दिनांक 10.6.2011 (जो उप पंजीयन कार्यालय में क्रम संख्या 2011001433 पर पंजीकृत है) के अनुसार एवं सहायक कलेक्टर, रेवदर द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र संख्या 55/2011 को दिनांक 10.6.2016 को खारिज किये जाने से श्री चतराराम पुत्र मूलाजी कलबी के हक हिस्से की उक्त कृषि भूमि के संबंध में रुपाराम गोदीपुत्र चतराराम जी कलबी, निवासी- धवली के पक्ष में उक्त दान विलेख के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1636 दायर हुआ है जो तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 08.11.2016 को स्वीकृत किया गया है।

प्रकरण में अपीलार्थी पक्ष ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित भूमि श्री चतराराम पुत्र मूलाजी कलबी, निवासी- धवली की स्वअर्जित नही होकर पुश्तैनी कृषि भूमि हो। प्रकरण में अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त RRT 2011-12(Supp.) Page 246 में अंकित तथ्य इस प्रकरण में लागू नही होते है, क्योंकि इस प्रकरण में प्रश्नगत नामान्तरकरण गोदपुत्र के आधार पर दायर होकर स्वीकृत नही हुआ है, बल्कि पंजीकृत दान विलेख के अनुसार प्रश्नगत नामान्तरकरण दायर होकर स्वीकृत हुआ है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही